Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Ltd.
Udyog-Bhawan, Tilak-Marg, Jaipur-302005

No: IPI/P-6/Policy/1/2012 /964
Dt: 09. Sept., 2019

OFFICE ORDER (14/2019)

Sub: Policy for providing land measuring 6x6 ft on Rent-cum-License basis for establishment of a Dairy Booth in the services area of RIICO Industrial Areas.

An agenda item (3) was placed before the IDC in its meeting held on 06.08.2019 and the IDC accorded approval for providing land measuring 6x6 ft on Rent-cum-License basis for establishment of a Dairy Booth in the services area of RIICO Industrial Areas. The Committee also accorded approval to the modalities of providing land on Rent-cum-License basis for establishment of dairy booths which is annexed as Annexure-A.

9/9/19
(Pukhraj Sen)
Advisor (Infra)

Copy to:

1. FA/Advisor (A&M)
2. Secretary
3. GM (BP)/CGM(Inv.)
4. GM (Infra/Fin/PR)/ GM (F-IPI)/ GM (Civil)/GM (EM)
5. OSD (Land)
6. DGM (IT)- for uploading on website.
7. Sr. DGM (Law) /DGM (Law)
8. All Unit Heads --------
   P&D Cell Officers:
9. Addl.GM (P&D)
10. Sr.DGM(DKS)/Sr.RM (P&D) (SJ)
11. Sr. RM (M&C)/Dy. Mgr (P&D)

Copy also to:
(i) PS to Chairman, RIICO
(ii) PS to MD, RIICO
(ii) PS to Advisor (Infra)

Addl.GM (P&D)

Annexure-A

रीको औद्योगिक क्षेत्रों में सरस दुग्ध विकय केन्द्र (डेयरी बूथ) स्थापित करने हेतु भूमि किराया अनुज्ञप्ति के आधार पर दिये जाने की नीति

1. भूमि किराया अनुज्ञप्ति आधार पर दिये जाने का उद्देश्य :

भूमि किराया अनुज्ञप्ति आधार पर डेयरी बूथ की स्थापना हेतु दी जावेगी एवं भूमि का स्वामित्व रीको का रहेगा ।

2. भूमि किराया अनुज्ञप्ति आधार पर दिये जाने से सम्बन्धित प्रकिया :

(i) प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र में उपलब्ध सर्विसेज हेतु नियोजित/आरक्षित रिक्त भूमि में एक डेयरी बूथ हेतु अधिकतम 6x6 फीट का स्थान निगम मुख्यालय स्तर पर इस प्रकार से चिन्हित कर नियोजित किया जायेगा जिससे कि सर्विसेज की भूमि की उपयोगिता बाधित ना हो । एक औद्योगिक क्षेत्र में एक से अधिक डेयरी बूथ स्थान नियोजन के लिए न्यूनतम 200 मीटर रेडियस दूरी का मापदण्ड लागू होगा ।

(ii) डेयरी बूथ की स्थापना हेतु उपरोक्तानुसार चिन्हित /नियोजित स्थानों की सूचना मय औद्योगिक क्षेत्र के नक्शें में दर्शाते हुए सम्बन्धित जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि0 को इकाई कार्यालय द्वारा दी जावेगी ।

(iii) भूमि किराया अनुज्ञप्ति आधार पर सम्बन्धित जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि0 को दी जावेगी ।

(iv) भूमि किराया अनुज्ञप्ति आधार पर एक बार में अधिकतम 15 वर्ष की अवधि के लिए दी जावेगी एवं इस अवधि की समाप्ति के पश्चात् किराया अवधि निगम की शर्तो पर समय समय पर बढाई जा सकेगी ।

(v) भूमि किराया अनुज्ञप्ति आधार पर दिये जाने से पूर्व जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि0 द्वारा प्रत्येक डेयरी बूथ हेतु रूपये 5000/– की अमानत राशि रीको इकाई कार्यालय में जमा करानी होगी । जो कि डेयरी बूथ का संचालन शुरू करने के दो वर्ष पश्चात् सम्बन्धित जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि0 को बिना ब्याज राशि के लौटाई जावेगी ।

(vi) जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि0 द्वारा प्रत्येक बूथ के लिए रीको में किराया रूपये 1000/– प्रति माह की दर से अग्रिम त्रैमासिक किराया जमा कराना होगा । उक्त किराये की दर में प्रत्येक 3 वर्ष में 10 प्रतिशत की बढौतरी की जावेगी । किराया राशि का भुगतान नहीं करने पर डेयरी बूथ हेतु किराया अनुज्ञप्ति आधार पर दी गई भूमि की अनुज्ञप्ति निरस्त कर दी जावेगी । किराया राशि पर देय जीएसटी भी जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि0 को जमा करानी होगी ।

(vii) प्रत्येक डेयरी बूथ के लिए जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि0 द्वारा निगम के साथ किराया नामा निष्पादित करना होगा एवं स्वयं के खर्चे पर रजिस्टर्ड कराना होगा ।

(viii) डेयरी बूथ के लिए दी गई अनुज्ञप्ति अहस्तान्तरणीय होगी ।

(ix) डेयरी बूथ हेतु किराया अनुज्ञप्ति पर दी गई भूमि पर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि0 द्वारा निर्धारित नियम/ शर्तो की अनुपालना नहीं करने पर भूमि की अनुज्ञप्ति निरस्त की जा सकेगी।

(x) जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि0 से प्राधिकृत डेयरी बूथ संचालक द्वारा प्रतिबन्धित पदार्थ तथा बीडी, सिगरेट, गुटखा एवं जर्दा इत्यादि की बूथ पर भण्डारण / प्रदर्शन एवं बिक्री किये जाने पर किराया अनुज्ञप्ति निरस्त कर दी जावेगी ।

(xi) जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि0 से प्राधिकृत डेयरी बूथ संचालक द्वारा किराया अनुज्ञप्ति आधार पर दिये गये स्थान के अलावा किसी प्रकार का अनाधिकृत कब्जा नहीं किया जावेगा एवं साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जावेगी एवं बूथ पर एक डस्टबिन रखना अनिवार्य होगा ।

(xii) भविष्य में यदि अपरिहार्य कारणों से डेयरी बूथ हटाना / स्थानान्तरण करना अपेक्षित हो तो यथोचित कार्यवाही निगम स्तर पर की जायेगी । उपयुक्त स्थान पर स्थानान्तरण करने की स्थिति में जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि0 द्वारा स्वयं के खर्चे पर संशोधित किराया नामा निष्पादित करवाना होगा ।

(xiii) डेयरी बूथ का संचालन किराया अनुज्ञप्तिधारक से प्राधिकृत व्यक्ति को ही करना होगा एवं डेयरी बूथ को सब–लैट करने पर किराया अनुज्ञप्ति निरस्त की जा सकेगी । डेयरी बूथ संचालन हेतु प्राधिकृत व्यक्ति को स्वयं का परिचय पत्र / एड्रैस प्रूफ एवं जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि0 द्वारा जारी प्राधिकृत आदेश की प्रमाणित प्रति निगम में जमा करानी होगी ।

(xiv) जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि0 द्वारा बूथ का संचालन बंद कराये जाने की स्थिति में निगम द्वारा किया गया किराया अनुज्ञप्ति स्वतः ही निरस्त माना जावेगा ।

....